राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 167 जून 2013 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

हाल में विभिन्न अस्पतालों में एक महीने तक जीवन के लिए संघर्ष करते हुए जिस 23 वर्षीय प्रीति राठी की मृत्यु हुई है, उसने उन महिलाओं की सूची में एक और संख्या बढ़ा दी है जिन्हें उन पर एसिड फेंककर अत्यंत निर्दयी और नृशंस तरीके से मार दिया जाता है।

प्रीति आईएनएस अश्विनी, जो दक्षिण मुम्बई में एक नवल अस्पताल है, में नर्स के रूप में कार्य करने के लिए मुम्बई आई थी परन्तु ऐसा न हो सका। भाग्य में कुछ और लिखा था, जैसे ही वह रेलगाड़ी से बाहर निकली, उस पर एसिड से हमला किया गया। चोटों की वजह से उसकी 2 जून को मृत्यु हो गई।

इन नृशंस घटनाओं के बारे में सबसे दुःखद बात यह है कि अपराधियों के लिए जमानत मिलना आसान होता है जबकि पीड़िताओं को अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यहां तक कि यदि वे बच भी जाती हैं तो भी उनके सारे जीवन में भावनात्मक संवेग बना रहता है क्योंकि ऐसी घटनाएं शरीर और मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाती हैं। इससे उनमें विरुपता आ जाती है और यहां तक कि वे अंधी भी हो सकती हैं।

ऐसी पीड़िताओं का पुनर्वास कठिन हो जाता है क्योंकि चमड़ी का रोपण अथवा पुनर्निर्माण सर्जरी न केवल खर्चीली है अपितु इसमें पूर्ण उपचार के अवसर बहुत कम होते हैं। अनेक शिक्षित और पहले से नियोजित महिलाएं अपनी नौकरियां खो बैठती हैं और अचानक ही वे वित्तीय तौर पर आश्रित हो जाती हैं।

एसिड से हमले की गंभीरता और प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार

चर्चा में | **एसिड से प्रहार**

की पीड़ितों को राहत देने और उनका पुनर्वास करने की तरह एक योजना का सुझाव दिया। आयोग ने डॉक्टरी इलाज के लिए तुरंत 5 लाख रुपए देने, जो अधिकतम 30 लाख रुपए तक हो सकता है, और पीड़िता के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए नियत करने की अनुसंशा की।

इस बात को स्वीकार किया जाता है कि देश में ऐसे हमलों की संख्या का कोई वास्तविक आंकड़ा हमारे पास नहीं है, सही संख्या जानना कठिन है क्योंकि अनेक मामलों की पुलिस में रिपोर्ट नहीं की जाती है या मीडिया रिपोर्ट नहीं करता है।

एक ऐसी जीवित बची झारखण्ड से सोनाली मुखर्जी हैं। उसकी जिंदगी तब तबाह हो गई जब तीन हैवानों ने उस पर तब एसिड फेंका जब उसने उनके गलत इरादों को नजरअंदाज किया। उसकी आंखों की रोशनी खराब हो गई है और 27 सर्जरी करने के बाद भी अभी और कई सर्जरी करनी है, यद्यपि उन आदमियों को पकड़ लिया गया था, परन्तु मामूली सी सजा देकर छोड़ दिया गया। यदि वह घटना आज होती तो नए आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, 2013 के अनुसार उन व्यक्तियों को कम से कम 10 वर्ष की कैद मिलती और जुर्माना लगता।

प्रीति की दुखांत मृत्यु ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्रूरतम रूप को उजागर किया है। कठोर कानून और एसिड की सीमित बिक्री से अपराध के आंकड़े कम हो सकते हैं परन्तु जब तक देश के अस्वीकृत व्यक्तियों की मानसिकता में वास्तविक परिवर्तन नहीं आता है जो यह समझते हैं कि यदि वे महिला को हासिल नहीं कर सकते हैं तो उसे मार दिया जाना चाहिए, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या में कोई खास गिरावट नहीं आएगी।

निर्भया भवन

भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जसोला में राष्ट्रीय महिला आयोग का भावी मुख्यालय का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आयोग ने हमारे देश में महिलाओं के अधिकार, गरिमा और विकास के लिए अपने निःस्वार्थ पहल के द्वारा प्रतिष्ठा हासिल की है और यह उपयुक्त है कि महिलाओं के हित की 20 वर्ष की निष्ठापूर्वक सेवा करने के उपरांत आयोग के पास अपने स्वयं का स्थायी मुख्यालय होना चाहिए। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ ने कहा कि भारतीय संविधान ने पुरुषों और महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए हैं; इसलिए सरकार ने उनके हित के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने सिविल समाज, राष्ट्रीय महिला आयोग और गैर-सरकारी संगठनों से अनुरोध किया कि वे घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न आदि को रोकने के लिए मिलकर कार्य करें।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग श्री प्रणब मुखर्जी, श्रीमती कृष्णा तीरथ और श्री ए.के. मित्तल, राष्ट्रीय निर्माण बोर्ड के डीएमडी की उपस्थिति से गौरवान्वित हुआ है और उन्हें प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यस्थल भवन का कार्य, उनकी कार्यावधि के दौरान आरम्भ होगा।

राष्ट्रपति दीप प्रज्वलित करते हुए। श्रीमती कृष्णा तीरथ (बाएं) और श्रीमती ममता शर्मा देख रही हैं

अध्यक्षा का ओड़िसा दौरा

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने 22 जून, 2013 को ओड़िसा का दो दिन का दौरा किया। भुवनेश्वर हवाई अड्डे से वह सीधे खुर्दा जिले के चिल्का क्षेत्र में गई। वह सबसे पहले सुनरवेला गांव में रुकी जहां उन्होंने सुनरवेला अस्पताल में महिला रोगियों के लिए सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला रोगियों को दी जाने वाली सेवा के प्रति असंतोष व्यक्त किया और प्राधिकारियों से सुविधाओं को तुरन्त सुधारने के लिए कहा। बाद में वह चिल्का क्षेत्र के बानपुर खंड में गामभरीमुंडा गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपने दौरे के दौरान उन्होंने पाया कि केन्द्र में एक डॉक्टर भी नहीं है, यद्यपि आस-पास के क्षेत्रों की हजारों महिलाएं उस पर निर्भर है। उन्होंने वहां एकत्रित महिलाओं को आश्वासन दिया कि वह यह मामला प्राधिकारियों के पास उठाएंगी ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र में यथाशीघ्र कार्य आरम्भ हो सके।

सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र में अध्यक्षा

श्रीमती शर्मा का एक गांव की झोंपड़ी में आगमन

बाद में वह नीलाद्रीप्रसाद और दमिया बाराबरा के लिए रवाना हुई। ये खुर्दा जिले के दो बड़े आदिवासी क्षेत्र हैं। नीलाद्रीप्रसाद में एक बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती शर्मा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की सबसे दुर्गम क्षेत्रों में रह रही आदिवासी महिलाओं तक पहुँचने की प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि उनको सशक्त बनाया जा सके।

इसके बाद वह आस-पास के गाँवों में गई ताकि उनकी समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सके और उनकी रहने की स्थितियों से अवगत हुआ जा सके। उन्होंने पाया कि अधिकांश को उनके लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से सहायता प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें यह देखकर अचम्भा हुआ कि महिलाएं अपना मुख्य आहार 'आम की गुठलियों' से बना रही हैं। उन्हें अब तक न गरीबी के नीचे रहने वालों को मिलने वाला चावल मिला है और न अन्नपूर्णा अंत्योदय योजना का लाभ मिला है। इसी तरह, यद्यपि गांव की 95 प्रतिशत महिलाओं को जाँच में मलेरिया से ग्रस्त पाया गया है, समूचे क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक डॉक्टर भी नहीं है। श्रीमती शर्मा ने स्थानीय खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) और अन्य अधिकारियों को सरकार द्वारा प्रायोजित सभी स्कीमों का लाभ इन महिलाओं को देने और एक माह के अन्दर आयोग को अनुपालन रिपोर्ट देने का निदेश दिया।

23 जून को श्रीमती शर्मा ने बालुगांव के निकट तारापी में ओड़िसा युवा सांस्कृतिक संसद (ओवीईएसएस) द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग से प्रायोजित 'ऑनर फॉर वुमैन नेशनल कैम्पेन' की राष्ट्रीय अध्यक्षों और ओवाईएसएस महिला की संस्थापक सुश्री मानसी प्रधान की अध्यक्षता में 'ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का उद्घाटन किया।

इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, जिसमें 5000 से अधिक महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, श्रीमती शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग उन्हें सशक्त बनाकर उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला प्रतिनिधियों ने कहा कि उनमें से अधिकांश को अपने अधिकारों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। सत्रों की समाप्ति के बाद एक प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया गया जिसमें प्रतिनिधियों द्वारा की गई विभिन्न मांगों और सुझावों को ध्यान में रखा गया।

अध्यक्षा पुरी सदर में गांव बेलाडल गई और वहां पुरी/कोणार्क मेरीन ड्राईव में जिस 14 वर्षीय अंधी लड़की को बलात्कार करने के बाद जान से मार दिया गया था, उसके माता-पिता से मिली। जांच की प्रगति और पीड़िता के माता-पिता को मिले मुआवजे की जांच करते हुए उन्होंने जांच में अनेक विसंगतियां पाई और उन्होंने दो परस्पर विरोधी मृत्यु प्रमाण पत्र देने के लिए जांच अधिकारी को निलंबित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की एक जाँच टीम पेशेवर तरीके से घटना की जांच करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए शीघ्र ही वहां भेजी जाएगी।

अध्यक्षा श्रोताओं को सम्बोधित करती हुई। श्रीमती मानसी प्रधान उनकी बाई ओर हैं

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारु वलीखन्ना मानव अधिकार रक्षा (भारत) द्वारा भारतीय विधि संस्थान में आयोजित 'भारत में विच हंटिंग - एक स्कैंडल वास्तविकता' पर संगोष्ठी में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता थी। ● डॉ. वलीखन्ना गोवा गई और गोवा के राज्यपाल श्री भारत वीर वांचू से मुलाकात की और उनके साथ महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा की। ● वह अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में सम्माननीय अतिथि थी। ● डॉ. वलीखन्ना नई दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस में मुख्य अतिथि थी। ● सदस्या नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर कृतिक बल पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोर्ड की बैठक में उपस्थित हुई। ● वह केन्द्रीय गोदाम निगम द्वारा 'यौन प्रताड़ना निवारण' पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी।

डॉ. चारु वलीखन्ना (बाएं से तीसरे) घरेलू कामगार दिवस पर

❖ सदस्या हेमलता खेरिया एलर्ट संस्थान द्वारा 'रोजगार और सृजनात्मक कार्यक्रम, जिसमें जनजाति पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया, में सम्माननीय अतिथि थी। परस्पर संवाद सत्र के दौरान सुश्री खेरिया ने राष्ट्रीय महिला आयोग के आधारभूत उद्देश्यों को परिभाषित किया और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम की मुख्य धाराओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया। ● बाद में, वह राजस्थान के डूंगरपुर में सुंदरपुर और मटुंगावाड़ा पंचायत और बांसवारा में बागीडाउडा और गहतोल पंचायत भी गई और बाल विवाह, कुपोषण, जादू-टोना, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, लड़कियों के लिए शिक्षा, शौचालयों की उपलब्धता, पानी, चिकित्सा सुविधा और महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर गांव की महिलाओं से चर्चा की। अध्यापकों की अनुपलब्धता के बारे में उन्होंने अनुशंसा की कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही अध्यापक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ● सदस्या बांसवाड़ा के जिला जेल भी गई और महिला कैदियों से मिली। उन्होंने अनुशंसा की कि कानूनी सहायता देने के लिए एक कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किया जाए और किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा कैदी महिलाओं को परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए।

सदस्या हेमलता खेरिया श्रोताओं को सम्बोधित करती हुई

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर ने नेशनल बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनबीएआई) के मुम्बई अध्याय का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऐसे संगठन राष्ट्रीय महिला आयोग की गतिविधियों विशेषकर एसिड हमले, यौन हिंसा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय और मेडिकल सहायता देने के मामले में हिस्सा लेने में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। वे समाज में होने वाले तलाक और घरेलू हिंसा के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे सरकारी वकील, न्यायपालिका और पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए जिला स्तर पर कानूनी जागरुकता कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित करने के लिए आगे आते हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग एनबीएआई का सहयोगी बन सकता है। ● सदस्या ने आदिपाठ फाउंडेशन के एडवोकेट नीलिमा कानितकर द्वारा लिखित तीन पुस्तकों का विमोचन किया जो कानून के विद्यार्थियों, गैर-सरकारी संगठनों और आम जनता के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। सदस्या ने वैवाहिक मामलों में परामर्श देने और वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता करने में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य के बारे में श्रोताओं को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'डाक' अथवा 'ऑनलाइन' अथवा व्यक्तिगत तौर पर रिपोर्टिंग के द्वारा की जाने वाली शिकायतों को कम किया और उनका समाधान किया है।

श्रीमती प्रभावलकर श्रोताओं को सम्बोधित करती हुई

❖ सदस्या शमीना शफीक संपादक बेलफेयर एशोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश के खैराबाद में हिंदी पत्रिका दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। ● सदस्या मीडिया एशोसिएशन, मेरठ द्वारा बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 'ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका' पर आयोजित 'संगोष्ठी और अभिनंदन समारोह' में भी उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलते हुए सदस्या ने महिलाओं के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया। ● श्रीमती शफीक श्रीनगर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रायोजित और महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित उच्चतर शिक्षा में महिला मैनेजरों की क्षमता निर्माण पर कार्यशाला में मुख्य अतिथि थी। सदस्या ने महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर सशक्त होने पर जोर दिया। ● सदस्या ने इस अवधि के दौरान तीन सुनवाई करी।

श्रीमती शमीना शफीक (दाहिने से दूसरी) मीडिया एसोसिएशन कार्यक्रम में

महिलाओं के लिए सुरक्षा के उपाय

❖ किसी महिला को तब क्या करना चाहिए जब वह देर रात को ऊंचाई वाले अपार्टमेंट में लिफ्ट में घुसने पर अपने को एक अनजान पुरुष के साथ अकेला पाती है? विशेषज्ञ कहते हैं : यदि आपको 13वीं मंजिल में जाना है तो अपने गंतव्य तक के सभी बटन दबाइए। कोई आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि लिफ्ट प्रत्येक मंजिल पर रुकती है। ❖ तब क्या करना चाहिए जब कोई अजनबी आप पर उस समय हमला करने की कोशिश करे जब आप अपने घर पर अकेली हों? विशेषज्ञ कहते हैं : रसोईघर में भाग कर जाइए। केवल आप ही जानती हैं कि मिर्ची पाउडर और हल्दी कहां रखी जाती है और चाकू और प्लेट कहां पर हैं। ये सभी चीजें घातक हथियार बन सकती हैं। यदि और कुछ नहीं है तो सब जगह प्लेटें और बर्तन फेंकने शुरू कीजिए। उन्हें टूट जाने दीजिए, चीखिए। याद रखें कि छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति का शोर सबसे बड़ा दुश्मन है। वह पकड़ा जाना नहीं चाहता। ❖ रात में ऑटो अथवा टैक्सी लेने की स्थिति में क्या करना चाहिए? विशेषज्ञ कहते हैं : रात में ऑटो में बैठने से पूर्व उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर नोट कीजिए। तब अपने परिवार अथवा मित्र को मोबाइल पर कॉल कीजिए और उन्हें उस भाषा में ब्यौरा दें जिसे ड्राइवर समझता हो। आपके कॉल का कोई उत्तर नहीं आता है तो भी ऐसा बहाना कीजिए कि आपके साथ बातचीत हो रही है। ड्राईवर समझेगा कि किसी के पास उसका ब्यौरा है और यदि उससे कोई गलत काम होता है तो वह कठिनाई में पड़ सकता है। अब वह आपको सुरक्षित रूप से आपके घर ले जाएगा। ❖ उस समय क्या करना चाहिए जब ड्राईवर ऐसी सड़क की ओर मुड़ता है जहां उसे नहीं जाना है और आप समझती हैं कि आप खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं? विशेषज्ञ कहते हैं : उसके गले में लपेटने के लिए अपने पर्स का हैंडल या दुपट्टे का उपयोग कीजिए और उसे पीछे खींचिए। सेकेंडों में वह दम घुटना महसूस करेगा और बेबस हो जाएगा। यदि आपके पास पर्स या दुपट्टा नहीं है तो उसके कॉलर से उसे पीछे खींचिए। उसकी कमीज का टॉप बटन यही काम करेगा। ❖ यदि रात में कोई आपका पीछा करता है तो क्या करना चाहिए? विशेषज्ञ कहते हैं : किसी दुकान अथवा किसी मकान में घुस जाइए और वहां अपनी विकट स्थिति बताइए। यदि रात है और दुकानें खुली नहीं हैं तो एटीएम बॉक्स के अंदर चले जाइए। एटीएम केन्द्रों में हमेशा सुरक्षा गार्ड होते हैं। वहां क्लोज सर्किट टेलीविजन से भी निगरानी रखी जाती है। अपनी पहचान जाहिर होने के डर से कोई आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा।

उच्चतम न्यायालय का भ्रूण हत्या पर मार्ग-निर्देश जारी करना

उच्चतम न्यायालय ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 'प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम' (पीएनडीटी) को कड़ाई से लागू करने के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं और केन्द्रीय निरीक्षण बोर्ड और राज्य निरीक्षण बोर्डों को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन का निरीक्षण करने और निगरानी रखने के लिए छः महीनों में एक बार अपनी बैठकें करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि प्रसवपूर्व निदान तकनीकी का इस देश में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है जिससे कन्या भ्रूण हत्या की समाप्ति के कारण कन्या सेक्स अनुपात में गिरावट आई है।

परामर्शदात्री बोर्डों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि अल्ट्रा-सोनोग्राफी मशीनों के सभी निर्माता और विक्रेता कोई भी मशीन किसी अपंजीकृत केन्द्र को न बेचें और जिन व्यक्तियों को मशीनें बेची गई हैं, उनकी सूची तिमाही आधार पर तैयार की जाए और अपनी-अपनी राज्य सरकारों और केन्द्र को भेजी जाए। उच्चतम न्यायालय ने देश में विभिन्न न्यायालयों को छः महीने के अंदर अधिनियम के अंतर्गत सभी लंबित मामलों का निपटान करने के लिए कदम उठाने के लिए निदेश भी दिए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जाँच

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारु वलीखन्ना एक समाचार पत्र में गांव नंदिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में 'आदिवासी महिला को मूत्र पिलाकर निर्मम पिटाई की' शीर्षक से प्रकाशित घटना की जांच करने के लिए जांच समिति की अध्यक्षा थी।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गीरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।